न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./16/2023

1. भंवरलाल पुत्र श्रीराम जाति दरोगा निवासी बड़ली, तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री समन्दरसिंह जाति राजपुत निवासी बड़ली, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. किशनसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी बड़ली, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. नेपाल पुत्र स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी आनन्दीपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा –(न्यायालय आदेश दिनांक 31.10.2023 से विलोपित)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– विष्णुदत्त शर्मा
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 09.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बड़ली पटवार क्षेत्र बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 535 में दर्ज खसरा नं. 5326 रकबा 0.28 है0,खसरा नं. 5327 रकबा 0. 04 व ख0नं. 770 रकबा 0.29 कुल खसरे 03 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर है** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 4 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 2 पत्रावली में उपस्थित होकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट की तथा इस बाबत् अपनी टिप्पणी आदेशिका पर अंकित की। अप्रार्थीगण संख्या 03 का नाम प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी स्वीकार कर दिनांक 31.10.2023 को विलोपित किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित बताया। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होने का हवाला देते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होने का हवाला देते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित बताया।

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमावन्दी ग्राम बड़ली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बड़ली पटवार क्षेत्र बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 535 में दर्ज खसरा नं. 5326 रकबा 0.28 है0 खसरा नं. 5327 रकबा 0.04 व ख0नं. 770 रकबा 0.29 कुल खसरे 03 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर** प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक **बड़ली** को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(रमेश कुमार करोल)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत
अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

(रवि वर्मा)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)